सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 156 राँची, सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 मार्च, 2026

संख्या-3/आरोप-11-47/2024 का.–35190 (HRMS)--श्री पवन कुमार मंडल, झा0प्र0से0(को0क्र0-738A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा के विरूद्ध उक्त पदस्थापन अवधि में इंदिरा आवास योजना में अनियमितता बरतने के संबंध में सिमरिया(लावालौंग) थाना काण्ड संख्या-76/06, दिनांक- 08.09.2006 दर्ज किया गया।

2. पुलिस अधीक्षक, चतरा के पत्रांक- 3411/अप0शा0, दिनांक-24.06.2024 के द्वारा सिमरिया थाना कांड संख्या-76/06, दिनांक- 08.09.2006 में श्री पवन कुमार मण्डल एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-69/2024, दिनांक- 17.03.2024 समर्पित किये जाने की सूचना दी गयी।

3. उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1260/विधि, दिनांक-05.09.2024 के द्वारा सिमरिया (लावालौंग) थाना कांड संख्या 76/2006, दिनांक- 08.09.2006 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री पवन कुमार मंडल, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-738A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा, पिता-शांति प्रसाद मंडल, साकिन-चतरा, थाना-चतरा, जिला-चतरा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव, संबंधित दस्तावेजों यथा 1. प्राथमिकी की प्रति, 2. पर्यवेक्षण टिप्पणी की छायाप्रति, 3. प्रतिवेदन संख्या-02 की छायाप्रति, 4. कांड दैनिकी की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया।

4. श्री मण्डल के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। उक्त के क्रम में विधि विभाग के द्वारा निम्नवत् पृच्छा करते हुए निराकरण करने का अनुरोध किया गयाः-

"यह कि प्रस्तावित अभियुक्त श्री पवन कुमार मंडल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 738A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा के विरूद्ध मामला नहीं बनता है, ऐसा प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा द्वारा जांचोपरांत संतुष्ट होने के उपरांत अपने पत्रांक-124/गो0, दिनांक 02.02.2009 को पुलिस अधीक्षक, चतरा को प्रतिवेदित किया गया है एवं पुनः उपायुक्त, चतरा द्वारा पत्रांक-1430/गो0, दिनांक 08.03.2010 से सरकार के उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उक्त थाना कांड सं0-76/2006 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि- श्री मंडल के विरूद्ध सिमरिया थाना में दर्ज प्राथमिकी (थाना कांड सं0-76/2006) के संबंध में श्री मंडल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित तथ्य(तत्कालीन उपायुक्त द्वारा कराई गई जाँच, वर्णित जाँच प्रतिवेदन व उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखा गया पत्र आदि) संचिकानुसार सही पाए गए। प्रस्तावित अभियुक्त का कृत्य किस प्रकार धारा-409 भा0द0वि0 के अपराध गठित होने हेतु आवश्यक मौलिक तत्वों की श्रेणी में आता है, कांड दैनिकी के माध्यम से समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए स्पष्ट करना चाहेगें।"

5. विभागीय पत्रांक- 679, दिनांक-06.02.2025 के द्वारा विधि विभाग द्वारा की गयी उपर्युक्त पृच्छा का निराकरण करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध उपायुक्त, चतरा से किया गया तथा प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, चतरा को दी गयी। साथ ही इस संबंध में स्मारित भी किया गया, परन्तु उक्त के संबंध में वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

6. श्री पवन कुमार मण्डल, झा0प्र0से0(को0क्र0- 738A/03), संयुक्त सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आवेदन दिनांक- 20.02.2026 के माध्यम से WP(Cr) No.-87/2025 पवन कुमार मण्डल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-18.02.2026 को पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति इस विभाग में समर्पित किया गया। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

"------7. Counter affidavit has been filed on behalf of the State in which it has been admitted in para-13 that only allegation against the petitioner was of advancing first installment of Rs.5000/- which was as per rule. Despite this, FIR has been lodged de hors the finding which constituted the basis for lodging the FIR. Deputy Commissioner vide letter dated 02.02.2009 sent vide Memo No. 124 specifically stated that as per the enquiry report, there was no incriminating material against the petitioner. Despite this, FIR has been lodged and after investigation, charge-sheet has been submitted.

8. Learned counsel for the State does not dispute the submission advanced on behalf of the petitioner.

9. Having considered the submissions advance on behalf of both sides and on perusal of the materials on record including the counter affidavit filed on behalf of the State, I do not find any averment either in the FIR, or in the enquiry report, or in the counter-affidavit regarding illegal advance having been made by this petitioner. As discussed above ₹5000, which had been advanced by him to one of the beneficiaries found to be as per rule. At the stage of quashing of FIR, law is settled that close scrutiny of material evidence cannot be entered into. However, there should be some allegation disclosing a cognizable offence against a person, for setting the criminal law into motion. So far, this petitioner is concerned, there is total absence of any allegation that he was involved in illegal advance made to any of the beneficiary.

10. Under the circumstance, it will be an abuse of the process of Court to permit the criminal proceeding against this petitioner. Accordingly, the First Information Report

being Simariya P.S. Case No. 76 of 2006 is, therefore, quashed along with the subsequent criminal proceeding qua this petitioner.

Writ petition is accordingly allowed. Pending I.A., if any, stands disposed of. "

7. WP(Cr) No.-87/2025 पवन कुमार मण्डल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-18.02.2026 को पारित न्यायादेश के द्वारा वादी श्री पवन कुमार मण्डल के विरूद्ध दर्ज सिमरिया थाना कांड-76/06 से संबंधित प्राथमिकी एवं तदनुसार आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है।

उक्त न्यायादेश की कंडिका-7 में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रतिशपथ पत्र के आलोक में उल्लेख किया गया है कि श्री मण्डल के विरूद्ध योजना में रु० 5000/- अग्रिम राशि देने का उल्लेख है, जो नियमानुसार है। इस कंडिका में उपायुक्त, चतरा के ज्ञापांक-124, दिनांक-02.02.2009 का भी उल्लेख किया गया है।

उक्त न्यायादेश में उल्लेखित उपायुक्त, चतरा के ज्ञापांक-124, दिनांक-02.02.2009, जो उपायुक्त, चतरा के द्वारा पुलिस अधीक्षक, चतरा को प्रेषित है, जिसमें प्रतिवेदित है कि 'तत्संबंधी उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री पवन कुमार मंडल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग के विरूद्ध मामला नहीं बनता है।

8. अतः समीक्षोपरान्त, WP(Cr) No.-87/2025 पवन कुमार मण्डल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-18.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में सिमरिया थाना कांड संख्या-76/06, दिनांक- 08.09.2006 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री पवन कुमार मण्डल, झा0प्र0से0(को0क्र0- 738A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा के विरूद्ध प्रस्तुत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

9. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PAWAN KUMAR MANDAL BHR/BAS/3406	WP(Cr) No.-87/2025 पवन कुमार मण्डल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-18.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में सिमरिया थाना कांड संख्या-76/06, दिनांक- 08.09.2006 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री पवन कुमार मण्डल, झा0प्र0से0(को0क्र0-738A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा के विरूद्ध प्रस्तुत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चिन्टु दोराईबुरु)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 156 - 50